In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR-V

कामता मिश्र वगैरह बनाम भानु प्रकाश मिश्र वगैरह

Mis–04/2021

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
26.08.2025	वादी की हाजिरी है। वादीगण की ओर से दिनांक–24.04.2025 को शपथ पत्र के साथ समर्थित एक आवेदन आदेश–22 नियम–3 एवं धारा–151 सी0पी0सी0 अंतर्गत दाखिल किया गया। उक्त आवेदन में यह तथ्य वर्णित है कि वादी सं0–1 कामता मिश्र की मृत्यु दिनांक–22.03.2023 को हो गई है, जिनका नाम विलोपित कर इनके विविध वारिसान–मु0 प्रभावती देवी, कुमुद मिश्र, संजय कुमार मिश्र एवं संतोष कुमार मिश्र को प्रतिस्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया है। वादी द्वारा एक अन्य संशोधन आवेदन मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ दिनांक–25.07.2025 को अंतर्गत आदेश–6, नियम–17 सी0पी0सी0 के तहत दाखिल किया गया है, जिसमें यह वर्णित है कि कम्प्यूटर टाईपिस्ट की गलती से कामता मिश्र की मृत्यु तिथि–22.03.2023 टाईप हो गया है, जबकि सही मृत्यु तिथि–22.03.2025 होगा। प्रतिवादीगण वाद में उपस्थित नहीं है। वादी विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी सं0–1 कामता मिश्र का नाम अभिलेख पर दर्ज है, जिनकी मृत्यु दिनांक–22.03.2025 को हो चुकी है। वादी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक–24.04.2025 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वादी सं0–1 कामता मिश्र का नाम अभिलेख से कलमजद कर इनके विधिक वारिसान–मु0 प्रभावती देवी, कुमुद मिश्र, संजय कुमार मिश्र एवं संतोष कुमार मिश्र को प्रतिस्थापित करें। वास्ते दिनांक–20.10.2025 आवेदक के बहस हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	